समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 27 August 2026

RCOM पर CBI की छापेमारी : ₹2,000 करोड़ SBI लोन घोटाले मे जांच तेज़

Publisher Published on 23 Aug 2025

भारत की वित्तीय और कॉर्पोरेट दुनिया में एक बार फिर बड़ा भूचाल तब आया, जब **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)** ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और इसके प्रमोटर **अनिल अंबानी** को आधिकारिक रूप से *‘?????’* घोषित कर दिया। यह कदम न केवल बैंकिंग सेक्टर की पारदर्शिता को लेकर एक सख्त संदेश है, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की खामियों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इसके बाद **CBI ने औपचारिक FIR दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी**, जिससे मामला और गरम हो गया है।

SBI का बड़ा कदम : RCOM और Anil Ambani पर ‘Fraud’ का ठप्पा

13 जून 2025 को **SBI ने RCOM और अनिल अंबानी को ‘फ्रॉड’ श्रेणी मे रंखा**, जो **RBI की फ्रॉड-रिस्क मैनेजमेटं गाइडलाइन** और बैंक की बोर्ड-स्वीकृत फ्रॉड पॉलिसी के तहत किया गया एक अहम कदम था।

- SBI का कुल एक्सपोज़र:
  - ₹2,227.64 करोड़ (फंड आधारित)
  - ₹786.52 करोड़ (बैंक गारंटी)

इस प्रकार बैंक का कुल जोखिम **₹3,000 करोड़ से अधिक** का है। SBI ने यह जानकारी 24 जून को RBI को दी और साथ ही **CBI मे शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया** शुरू कर दी।

वित्त राज्य मंत्री **पंकज चौधरी** ने भी लोकसभा में लिखित उत्तर में इस जानकारी की पुष्टि की।

CBI की कार्रवाई : छापेमारी और FIR दर्ज

SBI की शिकायत पर आगे बढ़ते हुए, **CBI ने 23 अगस्त 2025 को मुंबई स्थित RCOM और अनिल अंबानी से जुड़े कई**

परिसरों पर छापेमारी की।

CBI का फोकस इस बात पर है कि:

- क्या SBI और अन्य बैंकों से लिए गए लोन को वास्तविक बिजनेस उद्देश्यों के बजाय अन्य परियोजनाओं या कंपनियों में ट्रांसफर किया गया?
- क्या पैसों को एक **जटिल कॉर्पोरेट नेटवर्क** के ज़रिए शेल कंपनियों में घुमाया गया?
- क्या जानबूझकर डिफॉल्ट किया गया जिससे बैंकों को हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ?

CBI अब डिजिटल दस्तावेज़, बैंक ट्रेल और लेन-देन के सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि यह साबित किया जा सके कि यह मामला महज़ *'[illegible] [illegible]'* नहीं बल्कि *'[illegible] [illegible]'* है।

RCOM की मौजूदा स्थिति: दिवाला और IBC प्रक्रिया मे फंसी कंपनी

RCOM पहले से ही वित्तीय संकट में है और **2016 के Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)** के तहत **कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP)** में चल रही है।

- 6 मार्च 2020 को क्रेडिटर्स कमिटी ने NCLT, मुंबई में Resolution Plan दाखिल किया था।
- लेकिन अब तक इस पर अंतिम मंज़ूरी नहीं मिल सकी।
- इसी दौरान, SBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ **व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही** भी शुरू कर दी, जो अभी NCLT में लंबित है।

इस वजह से RCOM न केवल एक *[illegible] [illegible]* बल्कि एक *[illegible] [illegible]* में भी उलझ चुकी है।

कानूनी उलझने और पहले का इतिहास

RCOM का *'[illegible]' [illegible]* पहली बार 2020 में लगाया गया था। लेकिन:

- दिल्ली हाई कोर्ट ने *[illegible]-[illegible]* ऑर्डर देकर इस पर रोक लगा दी थी।
- इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की समीक्षा होनी चाहिए।
- सितंबर 2023 में RCOM से *'[illegible] [illegible]'* हटा लिया गया।
- लेकिन जुलाई 2024 में **RBI की गाइडलाइन** का पालन करते हुए इसे दोबारा Fraud घोषित कर दिया गया।

यानी RCOM का यह मामला पिछले पाँच सालों से *[illegible] [illegible]* में उलझा रहा है।

ED की जांच और व्यापक वित्तीय विवाद

RCOM और अनिल अंबानी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं। **ED (Enforcement Directorate)** भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

- हाल ही में अनिल अंबानी को **Yes Bank के ₹17,000 करोड़ लोन घोटाले** से जुड़े मामले में 10 घंटे तक पूछताछ झेलनी पड़ी।
- ED ने आरोप लगाया कि **₹3,000 करोड़ के लोन ट्रांजैक्शन** अन्य परियोजनाओं और कंपनियों में गलत तरीके से ट्रांसफर किए गए।
- हालांकि, इस बीच **Canara Bank ने जुलाई 2025 मे अंपना Fraud Classification वापस ले लिया**, जिससे

कानूनी पेचीदगियाँ और बढ़ गईं।

RCOM संकट का व्यापक असर

यह पूरा मामला सिर्फ एक कंपनी या एक प्रमोटर तक सीमित नहीं है। इसका असर **भारत के बैंकिंग सेक्टर और कॉर्पोरेट लोन सिस्टम** पर भी गंभीर पड़ सकता है।

- बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव और NPAs में इज़ाफ़ा
- निवेशकों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भरोसा डगमगाना
- दिवाला प्रक्रिया में फंसी अन्य कंपनियों के लिए भी मिसाल बनना

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.